8

समावेशी शिक्षा तथा विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023

एक विमर्श

सुमित गंगवार*
राज गुप्ता**

इस शोधपत्र में विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एन.सी.एफ़.-एस.ई.) 2023 में समावेशी शैक्षणिक अभ्यासों का विस्तृत अध्ययन किया गया है। इस शोध कार्य में शोधार्थी का प्रमुख उद्देश्य एन.सी.एफ़.-एस.ई. 2023 के अध्याय 4 'विद्यालयों में समावेशन' के भाग 4.1 'समावेशन के सिद्धांत' तथा भाग 4.2 'विभिन्न स्तरों में समावेशी अभ्यासों का चित्रण' भाग 4.3 'दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन हेतु अभ्यास' तथा भाग 4.4 'विशेष प्रतिभा वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु अभ्यास' का गहराई से अध्ययन करना था। इस कार्य हेतु गुणात्मक शोध उपागम के अंतर्गत विषयवस्तु विश्लेषण तथा तार्किक विश्लेषण विधि का उपयोग किया गया। विषयवस्तु तथा तार्किक विश्लेषण के उपरांत शोधार्थी ने अपने शोध निष्कर्ष के रूप में पाया कि एन.सी.एफ़.-एस.ई. 2023 के भाग 4.1 में उल्लेखित समावेशन के सिद्धांत विद्यालयी शैक्षणिक अभ्यासों में व्याप्त असमानताओं को समाप्त करके सभी विद्यार्थियों के शैक्षिक, सामाजिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए विद्यालयी शैक्षणिक परिवेश में आमूल-चूल परिवर्तन को संदर्भित करते हैं। भाग 4.2 विभिन्न स्तरों, यथा— भौतिक पहुँच, भाषा, सुरक्षा, पाठ्यचर्या सामग्री, शिक्षणशास्त्र में समावेशी अभ्यासों का विस्तृत चित्रण प्रस्तुत किया गया है। भाग 4.3 तथा 4.4 में विभिन्न नवाचारी अभ्यासों के माध्यम से विद्यालयी परिवेश में क्रमशः दिव्यांग तथा विशेष प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के समावेशन संबंधी सुझावों को प्रस्तुत किया गया है। इस शोधपत्र के अध्ययन उपरांत विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों से जुड़े विभिन्न हितधारक, यथा— अध्यापक, विद्यार्थी, विद्यालयी प्रशासन, नीति-निर्माता आदि लाभान्वित होंगे। विशेषकर विद्यालयी स्तर पर कार्यरत अध्यापक कक्षागत शिक्षण-अधिगम, परिस्थिति में समावेशी अभ्यासों को लागू करते समय विद्यार्थियों के भिन्नताओं को ध्यान में रखकर उचित अधिगम परिवेश का निर्माण करने में सक्षम हो सकेंगे।

**सहायक आचार्य*, शिक्षाशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश 226 007
**पीएच.डी. शोधार्थी (शिक्षाशास्त्र), शिक्षाशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश 226 007

यह एक प्रकार से सार्वभौमिक प्रयास है कि एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया जाए, जिसमें सभी को समान अधिकार मिले और किसी भी बच्चे को जाति, धर्म, वर्ण या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का सामना न करना पड़े। समावेशी शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य समाज में न्याय तथा समानता की भावना को बढ़ावा देना है। भारत में समावेशी शिक्षा के विकास के लिए कई नीति व योजनाएँ आई हैं; जिसमें से प्रमुख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, समग्र शिक्षा अभियान 2018, 2022, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-बुनियादी स्तर 2022, विद्यालयी सिद्धांत 2023 आदि हैं। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को संदर्भित करती है, जो सभी बच्चों के लिए समान शैक्षिक अवसर प्रदान करें, चाहे उसकी पृष्ठभूमि, शारीरिक स्थिति, जाति, लिंग, भाषा, मानसिक क्षमता अथवा सामाजिक-आर्थिक स्थिति किसी भी प्रकार की हो। वर्तमान समय में समाज में व्याप्त असमानताएँ, विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एस.ई.डी.जी.) के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की राह में कई बाधाएँ उत्पन्न करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते और अंततः विद्यालय छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं। (पटेल और मिश्रा, 2022) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (रा.शै.अ.प्र.प.) द्वारा विकसित विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 भारत में पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और अध्यापक प्रशिक्षण विधियों की रूपरेखा बनाने के लिए व्यापक दिशानिर्देश के रूप में काम करती है। यह रूपरेखा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें 3–18 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी विद्यार्थियों को विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों में सम्मिलित किया गया है। समावेशी शिक्षा, समान अवसरों के आधार पर दिव्यांग विद्यार्थियों के प्रति समाज की सोच को बदलने में मदद करती है। प्रत्येक विद्यार्थी में व्यक्तिगत भिन्नताएँ होती हैं और विभिन्न शिक्षण विधियों और युक्तियों का समावेश करके हर बच्चे का समग्र विकास संभव है। देश के विभिन्न भागों में विशेष विद्यालयों की स्थापना और उनका संचालन व्यावहारिक रूप से कठिन है, लेकिन यदि हितधारकों को शामिल किया जाए तो विद्यार्थियों के शैक्षणिक अवसरों में कोई रुकावट न डालते हुए संसाधनों की बचत की जा सकती है और व्यर्थता को कम किया जा सकता है (आइंस्को, 2020)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) 2020 और एन.सी.एफ.-एस.ई. 2023 में समावेशन पर विस्तार से चर्चा की गई है, जो यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि समाज के हर वर्ग को शिक्षा मिले और उन्हें विभिन्न प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का सामना न करना पड़े।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) 2020 में समावेशी शिक्षा व समावेशिता पर प्रमुख विचार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा में समावेशिता को एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में प्रस्तुत करती है, जिसका उद्देश्य सभी विद्यार्थियों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की समान पहुँच सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विशेष रूप से सामाजिक तथा

आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एस.ई.डी.जी.), दिव्यांग बच्चों और जेंडर समानता को प्राथमिकता देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिचय, भाग 1 विद्यालयी शिक्षा के अध्याय 2 के बिंदु 2.3 में निम्न साक्षरता दर वाले क्षेत्रों में स्थानीय भाषा से परिचित अध्यापकों की नियुक्ति की संस्तुति की गई है।

अध्याय 2 के बिंदु 4.11 व 4.12 में भी स्थानीय भाषा (मातृभाषा) के समावेशन की संस्तुति है, ताकि विद्यार्थियों को अधिकतम संज्ञानात्मक लाभ मिल सके। शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए त्रिभाषा सूत्र को लागू किया जाएगा तथा विद्यार्थी द्वारा सीखी जाने वाली तीनों भाषाएँ स्वयं द्वारा चुनी हो अर्थात किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जानी चाहिए (अध्याय 2 बिंदु 4.13)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत के शिक्षा तंत्र में समावेशिता को बढ़ावा देती है, जिससे सभी बच्चे, चाहे उनकी सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, समान अवसरों का लाभ उठा सकें। अध्याय 6 के बिंदु 6.7 के अनुसार सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित समूहों के साथ होने वाली असमानता का शिकार बालकों की तुलना में बालिकाएँ ज्यादा होती हैं, अतः एस.ई.डी.जी. विद्यार्थियों के उत्थान के लिए बनाई जा रही योजनाएँ व नीतियाँ बालिका केंद्रित होनी चाहिए। बिंदु 6.8 में ट्रांसजेंडर व बालिकाओं के लिए जेंडर समावेशी निधि का वर्णन है, जो ट्रांसजेंडर व महिला विद्यार्थियों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुँच को सुनिश्चित कर परिस्थितिजन्य समस्याओं का समाधान करेगी।

विद्यालयों में समावेशन की तात्कालिक आवश्यकता— शिक्षा में विविधता और समानता की ओर

वर्तमान समय में, शिक्षा प्रणाली में समावेशिता की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है। महाजन (2015) के अनुसार भारतीय विद्यालयों में विविधता का होना एक सामान्य-सी बात है, जिसमें विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसलिए समावेशिता की तात्कालिक आवश्यकता और अधिक है, ताकि सभी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके और वे अपनी पूरी क्षमता का विकास कर सकें। समावेशिता का अर्थ केवल शिक्षा तक पहुँच को बढ़ाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चे को समान अवसर मिलने चाहिए, चाहे वह दिव्यांग हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो या किसी भी सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आता हो, ताकि वह अपनी पूरी क्षमता का विकास कर सके। आज के समय में विद्यालयों को छोड़ देने की दर विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों वाले विद्यार्थियों के बीच एक बड़ा मुद्दा है। खासकर गरीब परिवारों, ग्रामीण इलाकों और जातिगत या जेंडर आधारित भेदभाव का सामना करने वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाना एक बड़ी चुनौती है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई.) 2009 ने 25 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया है, ताकि वंचित

समुदायों के विद्यार्थियों को निजी विद्यालयों में भी शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो सके आर.टी.ई. 2009, धारा12(1)(सी)। इससे यह स्पष्ट होता है कि समान अवसर प्रदान करना समावेशिता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे बिना किसी भेदभाव के लागू करना आवश्यक है।

समग्र शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) 2022 कार्यक्रम दिव्यांग, विद्यार्थियों और अन्य विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष संसाधन और सुधारात्मक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, ताकि वे सामान्य विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस प्रकार के सकारात्मक प्रयास यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी बच्चा शिक्षा के अवसरों से वंचित न रहे। वर्तमान विद्यालयों में अपेक्षित विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है तथा समावेशन द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को ऐसे अवसर प्रदान किए जा सकते हैं जिससे उनमें आत्मविश्वास का विकास हो। वर्तमान समय में लिंग समानता भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बालिकाओं और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों को समान शिक्षा अवसर सुनिश्चित करने के लिए कई पहल (जैसे— जेंडर समावेशी निधि, स्वच्छता संबंधित सुविधाएँ, सशर्त नगद और साइकिल हस्तांतरण इत्यादि) की चर्चा की गई हैं (एन.ई.पी. 2020, भाग 2, अध्याय 6, बिंदु 6.8)। इससे यह स्पष्ट होता है कि समावेशिता में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी विद्यार्थियों को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 (एन.सी.एफ़.-एस.ई.) परिचय

विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एन.सी.एफ़.-एस.ई.) 2023 शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (रा.शै.अ.प्र.प.) नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया है। यह दस्तावेज विद्यालयी शिक्षा से जुड़े सभी पहलुओं के बारे में मार्गदर्शन देने के लिए निर्मित किया गया है। एन.सी.एफ़.-एस.ई. 2023 का उद्देश्य शिक्षा को समावेशी, समान और गुणवत्तापूर्ण बनाना है, जिससे सभी विद्यार्थियों को उनके व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के समान अवसर प्राप्त हो सकें। यह रूपरेखा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) 2020 के सिद्धांतों के अनुरूप है और जिसका प्रमुख लक्ष्य विद्यार्थियों के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। इसमें सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और मानसिक दृष्टिकोण से शिक्षा की प्रक्रिया को सुधारने के लिए नए दृष्टिकोण और युक्तियाँ प्रस्तुत की गई हैं।

भाग क— उपागम

एन.सी.एफ़.-एस.ई. 2023 में शिक्षा के लिए एक समावेशी और लचीले दृष्टिकोण को अपनाया गया है। इस दृष्टिकोण में विद्यार्थियों की विविधताओं और उनकी अलग-अलग आवश्यकताओं का सम्मान करते हुए शिक्षा की प्रक्रिया को योजनाबद्ध किया गया है। इसके तहत अध्यापक और विद्यार्थी दोनों के बीच संवाद को प्रोत्साहित किया गया है, ताकि

विद्यार्थी अपनी सीखने की यात्रा में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। इसके अतिरिक्त, समग्र विकास के लिए बौद्धिक, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा मात्र ज्ञान प्राप्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के जीवन कौशल, सृजनात्मकता और आत्मविश्वास को भी बढ़ावा देती है।

भाग ख— क्षैतिज मुद्दे (विशेष रूप से विद्यालयों में समावेशन)

एन.सी.एफ.-एस.ई. 2023 में समावेशन को एक प्रमुख क्षैतिज मुद्दे के रूप में प्रस्तुत किया गया है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य उन सभी विद्यार्थियों के लिए समान शैक्षणिक अवसर सुनिश्चित करना है, जो किसी भी कारण, जैसे— दिव्यांगता, सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ या अन्य कोई सामाजिक व मानसिक चुनौती आदि से मुख्यधारा से बाहर हो जाते हैं। समावेशी विद्यालयों में यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी विद्यार्थी के शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों में कोई रुकावट न आए, चाहें वह किसी भी पृष्ठभूमि से हों। समावेशन को केवल शारीरिक पहुँच तक सीमित नहीं किया गया है, बल्कि शिक्षा की प्रक्रिया में समान अवसर, संसाधन और समर्थन को बढ़ावा दिया गया है। इसके तहत अध्यापकों को विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। विद्यालयों में समावेशन का उद्देश्य न केवल दिव्यांग विद्यार्थियों को मुख्यधारा में लाना है, बल्कि उन विद्यार्थियों के लिए भी अनुकूल वातावरण बनाना है जो भाषायी, सांस्कृतिक या अन्य सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

भाग ग— विद्यालयी विषय

एन.सी.एफ.-एस.ई. 2023 में विद्यालयी विषयों की संरचना को लचीला और विद्यार्थियों के व्यक्तिगत अनुभवों के अनुसार अनुकूलित करने पर जोर दिया गया है। प्रत्येक विषय की रूपरेखा इस प्रकार बनाई गई है कि वह विद्यार्थियों के सीखने के विविध तरीकों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें आकर्षित करे। यह सुनिश्चित किया गया है कि पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की सृजनात्मकता, रचनात्मकता तथा समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा दिया जाए। समावेशी दृष्टिकोण को लागू करते हुए प्रत्येक विषय में विद्यार्थियों की विभिन्न पृष्ठभूमि तथा आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधन और उपयुक्त संसाधनों की व्यवस्था की जाए। विज्ञान, गणित, भाषा, सामाजिक विज्ञान और कला जैसे विषयों में विद्यार्थियों की विविधताओं के अनुरूप लचीले तरीके अपनाए गए हैं, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी पूर्ण क्षमता के साथ सीख सकें।

भाग घ— विद्यालयी संस्कृति और प्रक्रियाएँ

एन.सी.एफ.-एस.ई. 2023 में विद्यालयी संस्कृति और प्रक्रियाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों को एक ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है जो सभी विद्यार्थियों के लिए सहायक और प्रेरणादायक हो। विद्यालयी संस्कृति को विद्यार्थियों की मानसिक एवं भावनात्मक भलाई के अनुरूप संवेदनशील और

सकारात्मक बनाया जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि विद्यालयों में विद्यार्थियों के अधिकारों का सम्मान हो और वे एक सुरक्षित, सौहार्दपूर्ण एवं सहयोगात्मक वातावरण में अपनी शिक्षा प्राप्त करें। विद्यालयों में प्रत्येक विद्यार्थी के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाए जैसे कि सहायक प्रौद्योगिकियों का समावेशन, व्यक्तिगत शिक्षा योजनाओं का निर्माण, विद्यार्थियों के बीच परस्पर सहयोग को बढ़ावा देना आदि। विद्यालयी प्रक्रियाओं को इस प्रकार निर्मित किया गया है कि वे समावेशी शिक्षा को विस्तारित करें जैसे कि लचीली समय सीमा, विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन पद्धतियाँ और विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों के लिए अनुकूलित संसाधन आदि।

भाग ङ— समर्थ पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण

एन.सी.एफ.-एस.ई. 2023 के पाँचवे भाग का उद्देश्य एक समर्थ पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, जो विद्यार्थियों के समग्र विकास को प्रोत्साहित करें। यह पारिस्थितिकी तंत्र विद्यार्थियों के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें विद्यालय, अध्यापक, अभिभावक, समुदाय और नीति-निर्माताओं का सहयोग शामिल हो। विद्यालयों में उपलब्ध सहायक भौतिक संरचनाएँ, सहायक प्रौद्योगिकी और मानसिक स्वास्थ्य समर्थन का समावेशन इस प्रकार होना चाहिए कि किसी भी विद्यार्थी के शैक्षिक अवसरों में बाधा न उत्पन्न हो। अध्यापक को विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार लचीली और संवेदनशील प्रणालीयुक्त शिक्षण करना चाहिए। समुदाय और अभिभावकों का सहयोग विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। इसके अलावा, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं का सम्मान करते हुए प्रौद्योगिकी का उपयोग विद्यार्थियों की शिक्षा को बेहतर बनाने में सहायक होता है। इस पारिस्थितिकी तंत्र का लक्ष्य विद्यार्थियों को सुरक्षित, समावेशी और सशक्त शिक्षा प्रदान करना है।

शोध उद्देश्य

प्रस्तुत शोध कार्य में निम्नलिखित शोध उद्देश्यों को सम्मिलित किया गया है—

- एन.सी.एफ.-एस.ई. 2023 में वर्णित समावेशन के सिद्धांतों का अध्ययन करना।
- विभिन्न स्तरों यथा— भौतिक पहुँच, भाषा, सुरक्षा, पाठ्यचर्या सामग्री तथा शिक्षणशास्त्र में समावेशी अभ्यासों का अध्ययन करना।
- एन.सी.एफ.-एस.ई. 2023 में दिव्यांग तथा विशेष प्रतिभावाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु संस्तुत अभ्यासों का अध्ययन करना।

शोध क्रियाविधि

इस शोध कार्य में शोधार्थी द्वारा गुणात्मक शोध उपागम के अंतर्गत विषयवस्तु विश्लेषण शोध विधि का उपयोग किया गया। इस कार्य के लिए शोधार्थी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 तथा

विद्यालयी शिक्षा से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों का चयन किया गया।

शोध निष्कर्ष एवं व्याख्या

प्रस्तुत शोध कार्य में एन.सी.एफ.-एस.ई. 2023 के दस्तावेज का विषयवस्तु विश्लेषण के उपरांत निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए। विभिन्न अध्ययन सामग्री के सहायता से इन निष्कर्षों पर चर्चा एवं व्याख्या निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत की गई है—

विद्यालयी पारिस्थितिकी में समावेशी अभ्यासों की आवश्यकता

एन.सी.एफ.-एस.ई. 2023 के भाग-ख के अध्याय 4 में विद्यालयी समावेशन की आवश्यकता तथा महत्व को वर्णित किया गया है। वर्तमान समय में, जब समाज में गहरी असमानताएँ और भेदभाव मौजूद हैं, समावेशिता की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। शिक्षा में समावेशिता से न केवल विद्यार्थियों का समग्र विकास होता है, बल्कि यह समाज में समानता, न्याय और समान अवसरों की ओर भी कदम बढ़ाता है। इसलिए शिक्षा प्रणाली में समावेशिता को प्राथमिकता देना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हर विद्यार्थी अपनी पूरी क्षमता को विकसित कर समाज में योगदान दे सके। राय (2020) के अनुसार, वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली में पाठ्यपुस्तकों और श्यामपट्ट का अत्यधिक उपयोग किया जाता है, जिससे श्रवण या दृश्य दोष वाले विद्यार्थियों को शिक्षा में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे में भाषा और विज्ञान के शिक्षण के लिए बहु-संवेदी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि समावेशन सुनिश्चित किया जा सके। महाजन (2015) के अनुसार, शिक्षा का उद्देश्य समाज में अधिक न्यायपूर्ण और समान सामाजिक संबंधों का निर्माण करना है, परंतु कक्षाएँ अभी भी पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं हैं जिसके कारण शिक्षा के कानूनों के बावजूद, शैक्षिक समुदाय के सदस्य वंचित वर्गों के विद्यार्थियों के साथ भेदभाव को रोकने में असफल रहे हैं।

समावेशन के प्रमुख सिद्धांत— आवश्यकता एवं महत्ता का पुनः परिभाषण

एन.सी.एफ.-एस.ई. 2023 के भाग-ख के अध्याय 4 के भाग 4.1 में समावेशन के मौलिक सिद्धांतों का वर्णन है, जो विद्यालयी समावेशन को एक नई ऊँचाई पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दस्तावेज में समावेशन को विद्यालय का अभिन्न हिस्सा माना गया है। समाज के सुचारु और प्रभावी कार्यान्वयन हेतु कुछ मौलिक सिद्धांतों का निर्माण किया गया है, जो न केवल समाज को स्थिरता प्रदान करते हैं, बल्कि विभिन्न सामाजिक इकाइयों का समावेशन भी सुनिश्चित करते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी सीखने के लिए सक्षम होता है और यह विद्यालय का दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि विद्यालयी वातावरण विद्यार्थी के समग्र विकास में सहायक हो। इसके अतिरिक्त, यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक विद्यार्थी को विद्यालय में उपलब्ध भौतिक और पाठ्यक्रम-संबंधी संसाधनों तथा विशेष सहायक उपकरणों तक समान और गैर-भेदभावपूर्ण पहुँच प्राप्त हो, ताकि किसी भी विद्यार्थी के मन में पूर्वाग्रह उत्पन्न न हो (कुमार और कुमार, 2017)। विद्यालयों

में पर्याप्त संख्या में अध्यापक होने चाहिए और उनका कर्तव्य है कि वे समावेशिता और समानता के सिद्धांतों का पालन करते हुए, एक सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करें, जो भेदभाव और उत्पीड़न से मुक्त हो, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को व्यक्त कर सकें (महाजन, 2015)। विद्यालय के सभी सदस्यों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे प्रत्येक विद्यार्थी के सम्मान और गरिमा के प्रति संवेदनशीलता विकसित करें। इसके साथ ही विद्यालयों को एक ऐसा सुरक्षित वातावरण स्थापित करना चाहिए, जो भेदभाव और उत्पीड़न से मुक्त हो और कक्षाएँ प्रश्न पूछने तथा विचारों का परीक्षण करने के लिए एक सुरक्षित स्थान बने।

विभिन्न स्तरों में समावेशी अभ्यास का चित्रण— 21वीं सदी की शिक्षा की प्रमुख आवश्यकता

एन.सी.एफ.-एस.ई. 2023 के भाग ख के अध्याय 4 के भाग 4.2 में विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में समावेशन पर ज़ोर दिया गया है तथा विभिन्न स्तरों, यथा— भौतिक पहुँच, भाषा, सुरक्षा, पाठ्यचर्या सामग्री एवं शिक्षणशास्त्र संबंधी समावेशी अभ्यासों का चित्रण किया गया है। मुख्य रूप से उन भौतिक और संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है, जो दिव्यांग और हाशिए पर रहने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा में अवरोध उत्पन्न करती हैं। एंगेलेन और अन्य (2021) के अध्ययन के अनुसार, समावेशी शिक्षा के लिए रैंप, उपयुक्त कक्षा अभिन्यास (लेआउट) और सहायक प्रौद्योगिकियों, जैसे— सुलभ बुनियादी ढाँचे की मूलभूत आवश्यकता है। इस प्रकार के परिवर्तनों के सफल कार्यान्वयन हेतु विद्यालयों के लिए विभिन्न युक्तियों को भी प्रस्तावित किया गया है, साथ ही इन भौतिक बाधाओं के प्रभाव के बारे में अध्यापकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों से प्रतिक्रिया लेने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। समग्र रूप से, इसका उद्देश्य एक ऐसा शैक्षणिक वातावरण तैयार करना है जो सभी विद्यार्थियों के लिए सहायक और समावेशी हो।

महाजन (2015) के अनुसार, द्विभाषिकता और बहुभाषिकता विद्यार्थियों के शैक्षिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यदि कोई विद्यार्थी अपनी मातृभाषा के विकास से वंचित रहता है, तो उसे अपनी सांस्कृतिक विरासत और पारिवारिक मूल्यों से जुड़ाव महसूस नहीं होता, जिससे वह सामुदायिक और सामाजिक समूहों से अलग-थलग महसूस कर सकता है। एन.सी.एफ.-एस.ई. 2023 में मातृभाषा के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि यह विद्यार्थियों को उनके मूल सांस्कृतिक और पारिवारिक संदर्भ से जोड़ने में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त विद्यालय के प्रत्येक सदस्य की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे प्रत्येक विद्यार्थी की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करें और किसी भी विद्यार्थी के प्रति किसी भी प्रकार के भेदभाव या उत्पीड़न को सहन न किया जाए। साथ ही किसी भी विद्यार्थी की गोपनीयता और उनकी संवेदनशील जानकारी की रक्षा की जिम्मेदारी भी विद्यालय पर है। एन.सी.एफ.-एस.ई. 2023 कक्षा में विविधता की सराहना करते हुए बैठने की उस विशिष्ट व्यवस्था और

मूल्यांकन विधियों को बढ़ावा देने का समर्थन करता है, जिससे समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहन मिलता है। कक्षा में उपयोग होने वाली पाठ्यचर्या सामग्री सभी समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली हो जिससे कक्षा सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों तथा रूढ़िवादिता से मुक्त हो सके। कक्षा में उपयोग होने वाले चित्रों में भी समाज के सभी समूहों का प्रतिनिधित्व हो, जिससे शिक्षण प्रक्रिया विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रासांगिक हो सके। अध्यापकों को लिंग, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और विद्यार्थियों की व्यक्तिगत क्षमताओं, जैसे— संवेदनशील मुद्दों पर विशेष ध्यान देते हुए रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों से बचने की आवश्यकता है। शिक्षणशास्त्र में भी विद्यार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को देखते हुए समावेशिता होनी चाहिए। कक्षा में उपयोग होने वाले उदाहरणों में रचनात्मकता हो जिससे कक्षा प्रक्रिया अधिक लचीली, रूढ़िवादिता से मुक्त तथा स्थानीय समुदाय के अनुरूप बन सके। विविध विद्यालयी प्रक्रियाएँ, यथा— बैठने की व्यवस्था, समय सारिणी इत्यादि स्थानीय समुदाय तथा विद्यार्थियों के अनुरूप समायोजित हो जिससे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके।

दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए समावेशी अभ्यास— पुनरावलोकित सरोकार

भारत में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आर.पी.डब्ल्यू.डी.) 2016 का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को समान अधिकार प्रदान करना है। इस अधिनियम के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन के विभिन्न पहलुओं में सुधार करने के लिए शिक्षा, सामाजिक, विधिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रावधान किए गए हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार, दिव्यांग विद्यार्थियों को समावेशी शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, जिसमें 18 वर्ष तक दिव्यांग विद्यार्थियों को उपयुक्त वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान है। इसलिए शिक्षा में उच्च गुणवत्ता को सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि दिव्यांग विद्यार्थी भी सामान्य विद्यार्थियों के समान अवसर पा सकें (भारत सरकार, 2016)।

एन.सी.एफ.-एस.ई. 2023 के भाग ख के अध्याय 4 के भाग 4.3 में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विभिन्न समावेशी अभ्यासों का वर्णन किया गया है। पाठ्यक्रम में संशोधन और कठिनाई स्तर में बदलाव करने का भी सुझाव दिया गया है, ताकि दिव्यांग विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों में सुधार हो सके। इसके अतिरिक्त, संसाधनों की अनुपलब्धता समावेशी सिद्धांत के पूर्ण अनुपालन में एक प्रमुख बाधा हो सकती है। इसलिए विद्यालयों में निरंतर सेवाएँ उपलब्ध कराना और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्तिगत उपागम अपनाना अत्यंत आवश्यक है (बर्डवेल और अन्य, 2016)। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में सुधार हेतु प्रौद्योगिकी, शिक्षणशास्त्र, सामग्री और मूल्यांकन विधियों में बदलाव किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए बड़े अक्षर का उपयोग, श्रव्य सामग्री का उपयोग और ऑटिज्म वाले विद्यार्थियों के लिए स्व-गति से सीखने की युक्तियाँ अपनाई जा सकती हैं।

विशेष प्रतिभा वाले विद्यार्थियों के लिए समावेशी अभ्यास— सार्थक एवं नवीन प्रयास

एन.सी.एफ.-एस.ई. 2023 के भाग ख के अध्याय 4 के अनुभाग 4.4 में विशेष प्रतिभा वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु विभिन्न प्रभावी अभ्यासों की चर्चा की गई हैं। विशेष प्रतिभा वाले विद्यार्थी, अक्सर अपनी उच्च क्षमताओं के कारण पारस्परिक संबंधों में चुनौतियों का सामना करते हैं। इन विद्यार्थियों को अपने साथियों से अधिक अपेक्षाएँ होती हैं और वे अपनी उपलब्धियों के प्रति निराशा का अनुभव कर सकते हैं (साबांसी और बुलुत, 2018)। 21वीं सदी में समावेशी शिक्षा का विचार समतावाद पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी शिक्षा पर नियंत्रण प्राप्त होता है। अध्यापक ऐसे समृद्ध शिक्षण वातावरण का निर्माण कर सकते हैं, जो विद्यार्थियों को उनकी क्षमता के अनुसार सीखने के उन्नत अवसर प्रदान करता है, जिससे वे अपने व्यक्तिगत गुण और उत्कृष्टता को विकसित कर सकें (लो और अन्य, 2022)। वैश्विक स्तर पर, विशेष प्रतिभा वाले विद्यार्थियों पर ध्यान देने की आवश्यकता महसूस की गई है और 1994 में यूनेस्को की सलामांका घोषणा ने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को शिक्षा में शामिल करने पर विशेष बल दिया। समावेशी शिक्षा में त्वरण और संवर्धन को प्रमुख युक्तियाँ माना गया है। त्वरण का अर्थ है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को समय से पहले सामग्री और कौशल का परिचय दिया जाए, जबकि संवर्धन में पाठ्यक्रम का विस्तार किया जाता है, ताकि विद्यार्थियों को उत्कृष्टतापूर्वक सीखने का अवसर प्राप्त हो सकें (रुटिग्लिआनो और क्वार्सी, 2021)। समग्र रूप से यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी विद्यार्थियों को समान शैक्षिक अवसर मिले, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो। विशेष प्रतिभा वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण विधियों और पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं।

शैक्षिक निहितार्थ

प्रस्तुत शोध कार्य के परिणाम विद्यालयी शिक्षा से जुड़े विभिन्न हितधारकों के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। इस शोधपत्र के अध्ययन उपरांत विभिन्न विद्यार्थियों में अन्य विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूति, सामाजिक कौशल और रचनात्मक सोच विकसित होगी तथा यह उन्हें विविधता को समझने, नेतृत्व और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना सीखने में मदद करेगी। दिव्यांग विद्यार्थी, विशेष प्रतिभा वाले विद्यार्थी, सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित समूह वाले विद्यार्थी आदि को समाज में उपलब्ध विभिन्न अवसरों के बारे में जागरूकता प्राप्त होगी, जिसके फलस्वरूप वे अपनी सामाजिक ठहराव की स्थिति से आगे बढ़ पाएँगे।

अध्यापकगण यह शोधपत्र पढ़ने के उपरांत विद्यार्थियों के सामाजिक, मानसिक, शारीरिक व आर्थिक विभिन्नताओं एवं उसकी महत्ता को समझकर अपनी अध्यापन क्षमता में सुधार कर सकेंगे जिससे विद्यालयी समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा। अध्यापकगण पारंपरिक अध्यापन विधियों को छोड़कर नवीन अध्यापन पद्धति का उपयोग कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त यह शोध कार्य अध्यापकों को

एन.सी.एफ.-एस.ई. 2023 में उल्लेखित समावेशन संबंधी नीतियों को समझने में मदद करेगा जिससे पूरे शिक्षातंत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों से जुड़े अध्यापकों के लिए इस शोधपत्र की अध्ययन सामग्री कक्षाओं में विभिन्न भिन्नताओं वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु मार्ग भी प्रशस्त करेगी।

इस शोध के परिणामों के आलोक में विद्यालय प्रशासन, विद्यालयी परिवेश में समावेशी शैक्षिक वातावरण की निर्मिति को बढ़ावा देने के नवीन प्रयास करेगें तथा विद्यालय में समानता की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने में सक्षम हो सकेंगे, जिससे दिव्यांग तथा अन्य सामाजिक तथा आर्थिक रूप से वंचित समूहों के नामांकन संख्या में भी वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय प्रशासन द्वारा दिव्यांग व विशेष प्रतिभा वाले विद्यार्थियों के लिए अधिक अनुकूलित तथा समावेशी वातावरण का निर्माण किया जा सकेगा, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा समान शैक्षिक अवसर मिल सकें। विद्यालय व अन्य शैक्षिक संस्थानों में बेहतर प्रबंधन प्रणाली का नियोजन किया जा सकेगा जिससे शैक्षिक नीतियों का क्रियान्वयन सही तरीकों से हो सके।

इस शोधपत्र के अध्ययन उपरांत अभिभावक विधिक तथा शैक्षिक प्रणालियों के बारे में उचित समझ विकसित कर पाएँगे जिससे विशेषकर दिव्यांग तथा सामाजिक तथा आर्थिक रूप से वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा मिलेगा तथा उनके शैक्षिक अधिकारों को समर्थन और संरक्षण मिलेगा। अभिभावकगण, विद्यालयी प्रशासन तथा अध्यापकों के साथ मिलकर विद्यार्थियों को समावेशिता से संबंधित विभिन्न संघर्षों से निपटने में मदद करेंगे तथा उनकी समग्र कल्याण व शैक्षिक प्रगति में लाभकारी सिद्ध होंगे। समाज में कई बार यह देखा गया है कि अभिभावक अपने बच्चे की अन्य बच्चों के साथ अनावश्यक तुलना करते हैं जिससे बच्चों के आत्मविश्वास में कमी आती है, इस शोध को पढ़ने के उपरान्त वे विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों तथा उनकी भिन्नताओं के कारणों के विषय में समझ विकसित कर पाएँगे तथा अपने बच्चों को स्व-गति से सीखने के लिए प्रेरित कर सकेंगे।

इस शोधपत्र के निष्कर्षों के आलोक में शैक्षिक नीति-निर्माता वर्तमान नीतियों का पुनः मूल्यांकन और उचित संशोधन करने में सक्षम हो सकेंगे। नीति-निर्माता, विद्यालय प्रशासन को उचित दिशानिर्देश प्रदान कर सकेंगे जिससे विद्यालयी प्रशासन एक उचित समावेशी वातावरण का निर्माण कर पाएँ तथा शैक्षिक नीतियों का सही क्रियान्वयन हो पाए। इसके अतिरिक्त नीति-निर्माता अध्यापक शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों में सभी विद्यार्थियों के समावेशन संबंधी विधियों को सम्मिलित करने संबंधी सुझाव प्रस्तावित कर पाएँगे जिससे इन कार्यक्रमों की गुणवत्ता को और अधिक संवर्धित किया जा सकेगा। इस शोध कार्य के परिणाम केवल उपरोक्त उल्लेखित हितधारकों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि यह ब्लॉक स्तर पर कार्यरत संसाधनों, अभिभावकों, समुदाय के सदस्यों, विभिन्न शैक्षिक और ज्ञानात्मक क्षेत्रों से जुड़े विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के लिए भी व्यापक और प्रभावी रूप से लाभकारी सिद्ध होंगे।

निष्कर्ष

वर्तमान समय में जब समाज में गहरी असमानताएँ और भेदभाव मौजूद हैं, ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में समावेशिता की आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है। शिक्षा में समावेशिता से न केवल विद्यार्थियों का समग्र विकास होता है, बल्कि यह समाज में समानता, न्याय और समान अवसरों का मार्ग भी प्रशस्त करती है। इसलिए शैक्षिक व्यवस्था में समावेशिता को प्राथमिकता देना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हर विद्यार्थी अपनी उच्चतम क्षमता तक पहुँच सके और समाज में योगदान दे सके।

एन.सी.एफ.-एस.ई. 2023 का उद्देश्य एक ऐसी समावेशी और गुणात्मक शिक्षा प्रणाली स्थापित करना है, जिसमें सभी विद्यार्थियों के लिए समान अवसर और संसाधन सुनिश्चित किए जाएँ। यह रूपरेखा शिक्षा में विविधता को सम्मान देती है और विद्यार्थियों के समग्र विकास को बढ़ावा देती है। समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों को संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था में लागू करने के लिए एन.सी.एफ.-एस.ई. 2023 एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सभी विद्यार्थियों को उनकी क्षमता के अनुसार सीखने और बढ़ने का नवीन अवसर प्रदान करता है। समावेशी शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए विद्यार्थियों के बीच विविधता को सम्मानित करना एक महत्वपूर्ण कदम होगा, इसके फलस्वरूप विद्यार्थियों के बीच समग्र विकास तथा समाज में समानता का प्रभाव आएगा।

एन.सी.एफ.-एस.ई. 2023 एक दस्तावेज ही नहीं, बल्कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जो यह मानवाधिकार तथा समानता को स्थापित करने का कार्य भी करता है।

संदर्भ

आइंस्को, एम. 2020. प्रोमोटिंग इन्क्लूजन एंड इक्विटी इन एजुकेशन— लेसंस फ्रॉम इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस. *नॉर्डिक जर्नल ऑफ स्टडीज इन एजुकेशनल पॉलिसी*. 6(1), पृ.सं. 7–16. https://doi.org/10.1080/20020317.2020.1729587

एंगेलेन, वी.एल., एम. एबर्स और एम. नजाएजेर. 2021. बैरीअर्स फैसिलिटेटर्स और सॉल्यूशन्स फॉर एक्टिव इनक्लूसिव प्ले फॉर चिल्ड्रन विद अ फिजिकल डिसेबिलिटी इन द नेदरलैंड्स— अ क्वालिटेटिव स्टडी. *बी.एम.सी. पीडियाट्रिक्स*. 21(1), पृ.सं. 7–16. https://doi.org/10.1186/s12887-021-02827-5

कुमार, वी. और एस. कुमार. 2017. प्रगतिशील समाज और शिक्षा में समावेशी शिक्षा की भूमिका. *इंटरनेशनल रिफरीड जर्नल*. 3(4), पृ.सं. 331–334.

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग. 2016. *दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016*. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली. https://depwd.gov.in/acts/

पटेल, ए.के. और वाई. मिश्रा. 2022. अनुसूचित जातियों के सामाजिक समावेशन में शैक्षिक कारकों की भूमिका का अध्ययन. *ह्युमैनिटीज और डेवलपमेंट*. 17(2), पृ.सं. 43–46.

बर्डवेल, जे., एल. कुपज़िंस्की, एम.ए. मुंडी और एस. बेन. 2016. ए क्वालिटेटिव स्टडी ऑफ द परसेप्शंस ऑफ स्पेशल एजुकेशन पर्सनल अबाउट इन्क्लूसिव प्रैक्टिसेस ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लर्निंग, टीचिंग एंड एजुकेशनल रिसर्च*. 15(11), पृ.सं. 99–110. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=A+Qualltatlve+Study+of+the+Perceptlons+of+Speclal+Educatlon+Personnel+about+Incluslve+Practlces+of+Students+wlth+Dlsabllltles&btnG=

महाजन, वी. 2015. सेंट्रलाइजिंग इक्विटी, सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी— प्रैक्टिसिंग इनक्लूजन इन आवर एजुकेशनल सिस्टम. *अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी लर्निंग कर्व*. 23, पृ.सं. 66–69. https://publications.azimpremjiuniversity.edu.in/1085/

रा.शै.अ.प्र.प. 2023. *नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली. https://ncert.nlc.ln/pdf/NCFSE-2023-August_2023.pdf

राय, ए. 2020. दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अधिगम के अवसर पैदा करना. *लर्निंग कर्व*. 5, पृ.सं. 14–17. अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी. https://publications.azimpremjiuniversity.edu.in/2153/

रुटिग्लिआनो, ए.एन. क्वार्सी. 2021. पॉलिसी अप्रोचेज एंड इनिशिएटिव्स फॉर द इन्क्लूजन ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट्स इन ओ.ई.सी.डी. कंट्रीज. *ओ.ई.सी.डी. एजुकेशन वर्किंग पेपर्स*. 19, पृ.सं. 7–56. https://dol.org/10.1787/c3f9ed87-en

लो, सी.ओ., आर.सी. लिन-यांग और एम. क्रोस्टोव्स्की. 2022. गिफ्टेडनेस ऐज अ फ्रेमवर्क ऑफ इनक्लूसिव एजुकेशन. *गिफ्टेड एजुकेशन इंटरनेशनल*. 38(3), पृ.सं. 431–437. https://dol.org/10.1177/02614294211049157

विधि और न्याय मंत्रालय. 2009. *निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009*. विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली. https://leglslatlve.gov.ln/actsofparllamentfromtheyear/rlght-chlldren-free-and-compulsory-educatlon-act-2009

शिक्षा मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली. https://www.moe.gov.ln/sltes/default/flles/एन.ई.पी._2020_EN_0.pdf

———. 2022. *समग्र शिक्षा एन इंटीग्रेटेड अभियान फॉर विद्यालय एजुकेशन फ्रेमवर्क फॉर इम्प्लीमेंटेशन*. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली. https://samagra.educatlon.gov.ln/docs/Framework_IlSE%20_F.pdf

साबांसी, ओ. और एस.एस. बुलुत. 2018. द रेकग्निशन एंड बिहेवियर मैनेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स विद टैलेंटेड एंड गिफ्टेड इन एन इनक्लूसिव एजुकेशन एनवायरनमेंट. *जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्टडीज*. 6(6), पृ.सं. 157–173. https://dol.org/10.11114/jets.v6l6.3068